सी0टी0 (नर्सरी) प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2015–16 में ऑन लाइन आवेदन हेतु निर्देश (केवल महिलाओं के लिए)

शासनादेश सं0 1577/15–11–2014 दिनांक 22.10.2014 के अनुपालन में प्रदेश में सी0टी0 (नर्सरी) प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2015–16 में चयन हेतु उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इस हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को **दिनांक 27.12.2017 से दिनांक 25.01.2018 वेबसाइट** http://examregulatoryauthorityup.in पर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

1. प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवापूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसे टीचर्स सर्टिफिकेट (शिशु शिक्षा) कहा जायेगा। यह प्रशिक्षण केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये है और इसके प्रशिक्षण संस्थान के रूप में **इलाहाबाद और आगरा** में स्थित दो सी0टी0 कालेज मान्य हैं।

2. **शैक्षिक योग्यता–** सी0टी0 (नर्सरी) चयन हेतु ऐसी महिला अभ्यर्थी आवेदन करने की पात्र होंगी, जो उत्तर प्रदेश की निवासी हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।

3. **आयु सीमा –** अभ्यर्थी की आयु जिस शैक्षिक सत्र हेतु आवेदन किया जायेगा अर्थात् **01 जुलाई 2015** को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) की आयु सीमा में शिथिलता शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

4. **आरक्षण –** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण राज्य सरकार के लागू आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। विशिष्ट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 यथा संशोधित 1997 एवं 1999 (यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही आरक्षण देय होगा।

5. **आवेदन शुल्क–** सी0टी0 (नर्सरी) प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने वाले अनूसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में रू0 200 तथा अन्य अभ्यर्थियों को रू0 400 ई–चालान ***(अभ्यर्थी द्वारा इंटरनेट बैकिंग/ए0टी0एम0 कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से)*** यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में जमा करना होगा। इस शुल्क का उपयोग चयन से सम्बन्धित विज्ञप्ति के प्रकाशन तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जायेगा। **विकलांग**

जन से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

6. प्रशिक्षण संस्थान का नाम –

1	राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद	**34**
2	राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, आगरा	**27**

7. आवेदन पत्र प्राप्त करना –

(i) सी0टी0 (नर्सरी) प्रशिक्षण हेतु (केवल महिला) अभ्यर्थियों से ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद द्वारा प्रदेश के बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में एकीकृत रूप से प्रकाशित की जायेगी।

(ii) अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें मांगी जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपयोगार्थ उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र ऑन लाइन प्राप्त किये जायेंगे।

(iii) ऑन लाइन आवदेन पत्र का प्रारूप आवेदन हेतु निर्देश तथा ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की तकनीकी एवं परिचालन सम्बन्धी निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होगें। ऑन लाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित विवरण पूर्ण सावधानी के साथ भरा जाये तथा अभ्यर्थी द्वारा समस्त प्रविष्टियों को भली प्रकार चेक कर लिया जाये। ऑन लाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व भरी हुई समस्त प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक जांच लिया जाये। एक बार सबमिट करने के उपरान्त प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा

(iv) ऑन लाइन आवदेन पत्र में प्रविष्टियाँ अभ्यर्थियों द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ भरी जानी चाहिए, क्योंकि यही चयन का आधार है। ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए विवरण का प्रिंट आउट, जमा की गयी फीस (ट्रांजेक्शन स्लिप) का प्रिंट आउट (विकलांग अभ्यर्थियों को छोड़कर) तथा आवदेन पत्र का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। ऑन लाइन आवेदन की प्रविष्टियों में सुधार अथवा परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वांइन्ट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट के प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात करके तदनुसार प्रतिशत निकाल लें तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करें। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए, जो ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फार्मूला) मूल प्रमाण पत्रों के जांच (काउंसिलिंग) के समय साथ लाना होगा।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन में भरा गया विवरण ही चयन का आधार है। आवेदन पत्र में भरे गये विवरण से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित स्पष्ट पठनीय छायाप्रतियाँ जांच के समय अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होंगी। ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के

निर्गत शैक्षिक अंकपत्र तथा आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मूल अभिलेखों की जांच के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों से इतर सूचनाओं वाले प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो भी सूचनायें अंकित की जायेंगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में भरी गयी सूचना से भिन्न सूचना को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह घोषणा (Undertaking)की जायेगी कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि आवेदन करने की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र/प्रमाण पत्र/आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अंकपत्र/प्रमाण पत्र से भिन्न कोई भी अंकपत्र/प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ix) प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित संस्थान में रू0 10 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो सहित नोटरी से प्रमाणित इस आशय का शपथपत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में उत्तर प्रदेश के ....जनपद का निवासी है, उसके पास आवेदन पत्र और जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। जांच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यू0आई0डी0 में से उसी एक को प्रस्तुत करना होगा। फोटो आईडी प्रूफ से उसके आवेदन पत्र में चस्पा फोटो का मिलान किया जायेगा।

(x) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रशिक्षण विद्यालय का विकल्प देना होगा परन्तु अभ्यर्थी को संस्था का आवंटन मेरिट तथा आरक्षण नियमों के आधार पर किया जायेगा। एक बार प्रशिक्षण संस्था आवंटित होने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा और न ही प्रशिक्षण अवधि में एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण किया जायेगा।

8. चयन समिति – सी0टी0 (नर्सरी) प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक चयन समिति होगी, जिसमें निम्नवत् पदाधिकारी होगें –

(i)	सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद	अध्यक्ष
(ii)	प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0 इलाहाबाद	सदस्य
(iii)	प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इन्टर कालेज, इलाहाबाद	सदस्य
(iv)	प्रधानाचार्य, राजकीय शिशु प्रशिक्षण, महाविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
(v)	रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उ0प्र0, इलाहाबाद	सदस्य सचिव

उक्त चयन समिति शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करेगी।

9. प्रशिक्षण हेतु चयन की कार्यवाही –

(i) सी0टी0 (नर्सरी) प्रशिक्षण हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये चयन किया जायेगा।

(ii) अन्तिम निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालयों को अवंटित सीटों के सापेक्ष वर्ग/श्रेणीवार गुणांक के आधार पर वरीयता क्रम में सूची तैयार की जायेगी।

(iii) सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान करने के बाद औपबन्धिक चयन सूची निर्गत कर सम्बन्धित प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी।

10 **प्रवेश** – प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मूल अभिलेखों, अंकपत्र/प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदि के मिलान करने तथा पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी को उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रवेश दिया जायेगा।

10 **अभिलेखों का सत्यापन–** सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन एक माह के अन्दर अभिलेखों का निर्गमन करने वाले संस्थाओं से कराया जायेगा। चयन/जॉच/प्रवेश/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर अभिलेखों से विसंगति पाये जाने पर चयनित/प्रशिक्षित/नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।

डॉ0 (श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद